संख्याः 1482 /XV-1/17/7(2)2015

प्रेषक,

आर०मीनाक्षी सुन्दरम,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
पशुपालन विभाग,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

पशुपालन अनुभाग–1 देहरादून : दिनांक 26 दिसम्बर, 2017

विषयः विकासखण्ड धारचूला एवं मुनस्यारी के पशुपालकों की आजीविका उत्थान योजनान्तर्गत धनराशि अवमुक्त करने विषयक।

महोदय,

उपरोक्त विषयक शासनादेश संख्या–727/XV-1/17/7(2)15 दिनांक 23 मई, 2017 के माध्यम से कि चालू वित्तीय वर्ष 2017–18 में राज्य सैक्टर विकासखण्ड धारचूला एवं मुनस्यारी के पशुपालकों की आजीविका उत्थान योजना हेतु आय–व्ययक में प्राविधानित धनराशि ₹20.00 लाख (बीस लाख मात्र) के सापेक्ष प्रथम चरण ₹6.67 लाख (छः लाख सड़सठ हजार मात्र) की धनराशि अवमुक्त की गई थी। विषयगत प्रकरण से संबंधित आपके पत्र संख्या–4620/नि0–5/एक(41)/धार–मुन/2017–18 दिनांक 15 दिसम्बर, 2017 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि चालू वित्तीय वर्ष 2017–18 के आय–व्ययक में विकासखण्ड धारचूला एवं मुनस्यारी के पशुपालकों की आजीविका उत्थान योजना हेतु अवशेष धनराशि ₹13.33 लाख (तेरह लाख तैंतीस हजार मात्र) की धनराशि व्यय हेतु आपके निर्वतन पर निम्न शर्तों एवं प्रतिबन्धों के साथ प्रदिष्ट किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं–

(1) विकासखण्ड धारचूला एवं मुनस्यारी के पशुपालकों की आजीविका उत्थान योजना के संचालन हेतु लाभार्थी चयन प्रक्रिया तथा अनुदान दिये जाने हेतु शासनादेश संख्या–136/XV-1/16/7(2)/15 दिनांक 19 फरवरी, 2016 द्वारा निर्धारित प्रावधान/दिशा–निर्देश का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

(2) धनराशि का उपयोग करने के उपरान्त व्यय का विवरण तथा लाभान्वितों की संख्या ग्रामवार/विकासखण्डवार/जनपदवार संकलित सूचना शासन को उपलब्ध करायी जायेगी।

(3) धनराशि का व्यय किये जाने से पूर्व जहां कहीं आवश्यक हो, सक्षम अधिकारी की स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय तथा आहरण वितरण अधिकारी धनराशि की फांट कर उसकी प्रति शासन को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।

(4) बजट मैनुअल में निर्धारित प्रक्रिया के अधीन कोषागार द्वारा प्रमाणित वाउचर संख्या एवं दिनांक के आधार पर अंकित बजट की सीमा में प्रतिमाह 5 तारीख तक प्रपत्र बी०एम०–8 पर विभागाध्यक्ष द्वारा सूचना वित्त विभाग को अनिवार्य रूप से उपलब्ध करायी जाय।

(5) इस संबंध में स्पष्ट किया जाता है कि अतिरिक्त अनुदान की प्रत्याशा में अनाधिकृत रूप से व्यय न किया जाय। धनराशि का व्यय एवं आहरण आवश्यकतानुसार ही किया जाय।

(6) धनराशि को व्यय करते समय वित्त विभाग के मितव्ययिता संबंधी आदेशों का पूर्णतः पालन किया जाय, धनराशि का आहरण एवं व्यय आवयकतानुसार ही किया जाय।

(7) स्वीकृत धनराशि को व्यय करते समय बजट मैनुअल, वित्तीय हस्त पुस्तिका स्टोर परचेज रूल्स डी०जी०एस० एण्ड डी० की दरें [illegible]

संबंध में शासन द्वारा समय–समय पर जारी आदेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय, जहाँ कहीं आवश्यक हो तो धनराशि व्यय करने से पूर्व सक्षम अधिकारी की स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय।

(8) स्वीकृत/आवंटित की जा रही धनराशि के संबंध में किसी भी प्रकार की अनियमितता/दुरूपयोग/ दोहरीकरण (Doubling) पाये जाने पर विभागाध्यक्ष एवं संबंधित आहरण वितरण अधिकारी पूर्णतः उत्तरदायी होगें।

(9) उपकरण/सामग्री, जो उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली, 2017 से आच्छादित है, का क्रय एवं आपूर्ति इस नियमावली में निर्धारित प्राविधानों के अन्तर्गत सुनिश्चित किया जाना आवश्यक होगा।

(10) स्वीकृत की जा रही धनराशि का उपयोग इसी वित्तीय वर्ष 2017–18 में किया जाय।

2. इस संबंध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2017–18 अनुदान संख्या–28 के लेखाशीर्षक–2403–पशुपालन –00–106–अन्य पशुधन विकास–13–विकासखण्ड धारचूला एवं मुनस्यारी के पशुपालकों की आजीविका उत्थान योजना के 42–अन्य व्यय के सुसंगत मानक मद के अन्तर्गत वहन किया जायेगा।

3. यह आदेश वित्त विभाग के शासनादेश संख्या–610/3(150)XXVII(1)/2017 दिनांक 30 जून, 2017 में दिये गये दिशा–निर्देशों के क्रम में जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(आर०मीनाक्षी सुन्दरम)
सचिव

संख्या– 1983 (1)/XV-1/2017 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:–

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड।
2. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
3. वरिष्ठ कोषाधिकारी, जनपद पिथौरागढ़, उत्तराखण्ड।
4. मुख्य पशुचिकित्साधिकारी, जनपद पिथौरागढ़, उत्तराखण्ड।
5. अपर निदेशक, पशुपालन विभाग, कुमाऊँ मण्डल, उत्तराखण्ड।
6. वित्त व्यय नियंत्रण अनुभाग–4
7. निदेशक, एन.आई.सी. सचिवालय देहरादून।
8. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(वी०एस०पुन्डीर)
उप सचिव